प्रारूप – 1

पत्रांक–14 / आ0नी0–04–03 / 2019 का0 3980

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी उपायुक्त
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, राँची।

दिनांक– 22.05.2019

विषय :– आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0– 1433, दिनांक– 15.02.2019 के द्वारा झारखण्ड सरकार के सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्ति में तथा संकल्प सं0– 1434, दिनांक– 15.02.2019 के द्वारा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का कोई आवेदक उक्त आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकेगा।

2. संकल्प सं0– 1433, दिनांक– 15.02.2019 की कंडिका 5.1 एवं 5.2 के आलोक में निम्नलिखित सक्षम प्राधिकार के द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने के उपरान्त आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा :–

(i) उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी / अपर जिला दण्डाधिकारी / अपर उपायुक्त / अपर समाहर्त्ता / अनुमण्डल दण्डाधिकारी / कार्यपालक दण्डाधिकारी / सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी,

(ii) अंचल अधिकारी

3. आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का कोई व्यक्ति आवेदन–सह–घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र, परिशिष्ट–1 में तथा अवयस्क आवेदक होने की स्थिति में परिशिष्ट–2 में आवेदन समर्पित कर सकेगा। तत्काल सेवा के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को परिशिष्ट 3 में आवेदन अलग से समर्पित करना होगा।

P.T.O

(12) (32)

4. आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के निमित्त निवास के बिन्दु के सम्बन्ध में विभागीय संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.2016 में निर्धारित ''झारखण्ड के स्थानीय निवासी'' की परिभाषा एवं पहचान से सम्बन्धित मानदण्डों / शर्तों को अंगीकृत कर यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक के लिए निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आवेदक के द्वारा आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विभागीय संकल्प सं0 3198 दिनांक–18.04.2016 के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं पहचान हेतु विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 6(ङ) में उल्लिखित किसी एक दस्तावेज को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

5. आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का दर्जा निर्धारित करने के लिए विभागीय संकल्प सं0–1433, दिनांक–15.02.2019 की कंडिका 4.1 में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते हुए आवेदक के परिवार की आवेदन वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष के सभी स्रोतों से होने वाली कुल आय एवं परिसम्पत्ति की गणना की जाएगी एवं कंडिका 4.2 के अनुसार परिवार के द्वारा धारित विभिन्न लोकेशन अथवा स्थानों / शहरों में अवस्थित भूमि एवं सम्पत्ति के कुल योग के आधार पर आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। कंडिका 4.3 के अनुसार इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति / पत्नी, उसके माता–पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई–बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– परिशिष्ट 1, 2 एवं 3।

विश्वासभाजन

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–05 / विविध–14–48 / 2015:– 2138 रॉची दिनांकः– 01/07/19

प्रतिलिपिः–प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, सुवर्णरेखा भवन, आदित्यपुर, जमशेदपुर / सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग / अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जमशेदपुर / निदेशक भू–गर्भ जल निदेशालय, रॉची / उप समाहर्त्ता, राजस्व प्रमडल, रॉची / सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी / सभी पुनर्वास पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग / वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त।

01/07/19
(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

परिशिष्ट–1

आवेदन–सह–घोषणा पत्र

आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष..................) हेतु

1. व्यक्तिगत विवरण

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :–					
2	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (संख्या/दिनांक) :–					
3	मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :–					
4	जन्म तिथि :–	5	लिंग	पुरूष( )	महिला ( )	ट्रांसजेंडर ( )
6	जाति*	7	धर्म :–			
8	आवासीय पता :–					
(क)	स्थाई पता :– गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य					
(ख)	वर्तमान पता :–गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य					
9	पिता का नाम :–	10	पिता की जाति :–			
11	माता का नाम :–					
12	पति का नाम :–	13	पति की जाति :–			

2. परिवार** के सदस्यों की विवरणी :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आवेदन की तिथि को उम्र	PAN
(i)				
(ii)				

3. आवेदन वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष.......................में सभी स्रोतों से पारिवारिक** आय (यथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि) :–

(i)	वेतन से कुल आय	
(ii)	कृषि से कुल आय	
(iii)	व्यवसाय से कुल आय	
(iv)	पेशा से कुल आय	
(v)	अन्य स्रोत से कुल आय	
	कुल आय	

4. सम्पत्ति का विवरण (परिवार** द्वारा धारित विभिन्न स्थानों/शहरों में अवस्थित भूमि और सम्पति को जोड़कर) :–

(i)	कुल कृषि योग्य भूमि(एकड़ में)	
(ii)	आवासीय फ्लैट(कुल क्षेत्रफल वर्गफीट में)	
(iii)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भू–खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	
(iv)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आवासीय भू–खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में मुझे प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

* आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।

** इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति/पत्नी, उसके माता–पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई–बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–2

आवेदक के अवयस्क होने की स्थिति में आवेदक के माता–पिता के द्वारा अपनी संतान के आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष ....) हेतु आवेदन–सह–घोषणा पत्र

1. व्यक्तिगत विवरण (अवयस्क हेतु) :–

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="6">आवेदक/आवेदिका का नाम :–</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (संख्या/दिनांक) :–</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :–</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जन्म तिथि :–</td><td>5</td><td>लिंग</td><td>पुरूष( )</td><td>महिला ( )</td><td>ट्रांसजेंडर ( )</td></tr>
<tr><td>6</td><td>जाति* :–</td><td>7</td><td colspan="4">धर्म :–</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="6">आवासीय पता :–</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td colspan="6">स्थाई पता :– गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर ....
थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य ....</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td colspan="6">वर्त्तमान पता :– गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर ....
थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य ....</td></tr>
<tr><td>9</td><td>पिता का नाम :–</td><td>10</td><td colspan="4">पिता की जाति :–</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="6">माता का नाम :–</td></tr>
</table>

2. परिवार** के सदस्यों की विवरणी :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आवेदन की तिथि को उम्र	PAN
(i)				
(ii)				

3. आवेदन वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष......... में सभी स्रोतों से पारिवारिक** आय (यथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि) :–

(i)	वेतन से कुल आय	
(ii)	कृषि से कुल आय	
(iii)	व्यवसाय से कुल आय	
(iv)	पेशा से कुल आय	
(v)	अन्य स्रोत से कुल आय	
	कुल आय	

4. सम्पत्ति का विवरण (परिवार** द्वारा धारित विभिन्न स्थानों/शहरों में अवस्थित भूमि और सम्पति को जोड़कर) :–

(i)	कुल कृषि योग्य भूमि(एकड़ में)	
(ii)	आवासीय फ्लैट(कुल क्षेत्रफल वर्गफीट में)	
(iii)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भू–खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	
(iv)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आवासीय भू–खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में मेरे पुत्र/पुत्री को प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

* आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।

** इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति/पत्नी, उसके माता–पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई–बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

पिता/माता का हस्ताक्षर

(पिता/माता का नाम :–..............................)

(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

परिशिष्ट–3

आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में 'तत्काल सेवा' का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हता सत्यापन संबंधी आवेदन

(दो प्रतियों में)

सेवा में,

....

....

....

महाशय,

मुझे .... (संस्थान / कार्यालय का नाम) द्वारा दिनांक–... तक आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश प्राप्त हुआ है। संबंधित संस्थान / कार्यालय के मांग पत्र की प्रति संलग्न है।

अनुरोध है कि संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर मेरे पक्ष में 'तत्काल सेवा' का लाभ प्राप्त करने हेतु सत्यापन निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान–................................

दिनांक– ....

नाम– ....

पिता / पति का नाम– ....

स्थायी पता– ....

....

मोबाईल नं0– ....

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

ज्ञापांक–............................

दिनांक– ....

कार्यालय का नाम–...

<u>तत्काल सेवा हेतु अर्हता का सत्यापन</u>

झारसेवा पोर्टल पर आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र के लिए तत्काल सेवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री / श्रीमती / सुश्री .... पिता / पति का नाम .... पता... के द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा उसके साथ अनुलग्न संबंधित संस्थान / कार्यालय के एतद् सम्बन्धी ज्ञापन / दस्तावेज का अवलोकन किया।

इनका आवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–....... ...., दिनांक–.................................... में वर्णित प्रावधान के आलोक में 'तत्काल सेवा' अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु स्वीकार करने योग्य पाया।

सत्यापन करनेवाले पदाधिकारी
का हस्ताक्षर (मुहर सहित)

नाम–...

पदनाम–...